

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-01/2015/..... /पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, गया, भागलपुर एवं मुंगेर।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद, नालंदा, जमुई, दरभंगा, खगड़िया, बेगुसराय, शेखपुरा एवं गोपालगंज।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए अतिरिक्त आवंटन के संबंध में । कुल आवंटित राशि रु0 1,08,65,500/- (एक करोड़ आठ लाख पैसठ हजार पाँच सौ) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-3429 दिनांक-01.04.2015 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015 स्वीकृत हो चुका है।

2. उक्त पत्र के आलोक में 01 अप्रैल 2015 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में प्रावधानित राशि से गैर योजना मद में राशि आवंटित/व्यय किया जा सकता है।

3. कंडिका-3(2) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष-204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0- 35 एवं विपत्र कोड- N/3454022040002 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 16 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना, संबंधित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां0) एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे ।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी । साथ ही वित्तीय वर्ष 2014-15 के दायित्वों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के आवंटन से किया जाय।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 3429 दिनांक 01.04.2015 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना
2. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक32...../पटना, दिनांक.....03/02/2016.....

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)
2. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड कर दें।

निदेशक

आबंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, 0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 का अतिरिक्त आबंटन विवरणी। मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-N/3454022040002

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आबंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य भत्ता	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 चि0 प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 वर्दी/ पोशाक	14-01 किराया महसूल एवं कर	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	2000000	2200000	350000	60000	20000	-	4630000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4630000
प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) कार्यालय																			
2	पटना	150000	150000	20000	2000	1000	-	323000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323000
3	गया	80500	150855	43108	-	1891	-	276354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276354
4	भागलपुर	200000	238000	20000	-	2000	-	460000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460000
5	मुंगेर	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
जिला सांख्यिकी कार्यालय																			
6	बक्सर	-	-	-	-	1200	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200
7	रोहतास	70000	125000	5000	-	2000	-	202000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202000
8	जहानाबाद	200000	250000	25000	-	5000	-	480000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480000
9	औरंगाबाद	327030	390190	32800	-	4200	-	754220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754220
10	नालंदा	760000	878200	41000	-	3400	-	1682600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1682600
11	जमुई	93386	59485	9298	-	1657	-	163826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163826
12	दरभंगा	600000	725000	60000	-	-	-	1385000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1385000
13	खगड़िया	-	-	20000	-	-	-	20000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20000
14	बेगुसराय	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
15	शेखपुरा	-	50000	-	-	-	-	50000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50000
16	गोपालगंज	190000	226000	19000	-	2000	-	437000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437000
कुल योग:-		4670916	5442730	645306	62000	44548	0	10865500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10865500

(एक करोड़ आठ लाख पैंसठ हजार पाँच सौ) रुपये मात्र।



निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

